# बिहार सरकार
# ग्रामीण कार्य विभाग

## अधिसूचना

अधि०सं० :–3/अ0प्र0–1–349/2013 412 /पटना, दिनांक :– 22-1-2020

श्री रामचन्द्र गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, नवादा के विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा अवैध ढंग से आय से अधिक सम्पत्ति रू० 1,41,88,724/– अर्जित करने के मामले में दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या–26/13 दिनांक 08.07.2013 के आलोक में उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या–595 दिनांक 18.02.2014 द्वारा निलंबित किया गया तथा उक्त आरोपों पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 602 अनु0 दिनांक 18.02.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री गुप्ता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–991 अनु0 दिनांक 24.03.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री गजेन्द्र कुमार मिश्र, उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

**2.** श्री गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–18780/2016 में दिनांक 01.09.2017 को पारित आदेश के आलोक में अधिसूचना संख्या–3672 दिनांक 22.12.2017 द्वारा श्री गुप्ता को निलंबन से मुक्त कर दिया गया तथा निलंबन अवधि का विनियमन विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।

**3.** विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के ज्ञापांक–214 दिनांक 19.05.2014 द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मामले को अपर विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को हस्तांतरित कर दिया गया। तद्लोक में अपर विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 1523 दिनांक 22.11.2017 द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आर्थिक अपराध इकाई द्वारा श्री गुप्ता के आय को कम कर आंकने, श्री गुप्ता के कुछ अचल सम्पत्ति की कीमत को बढ़ाकर दिखाये जाने तथा कृषि से प्राप्त आय, पत्नी द्वारा अर्जित आय, उनका स्त्री धन के रूप में प्राप्त राशि, बैंक से लिया गया लोन एवं अन्य रिश्तेदारों के प्राप्त आय इत्यादि को श्री गुप्ता के आय में नहीं दर्शाये जाने के आधार पर आरोप को अप्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री गुप्ता के बचाव बयान के मुख्य बिन्दुओं की जॉच के क्रम में पाया गया कि श्री गुप्ता द्वारा बेली रोड, पटना में खरीदे गये फ्लैट का रजिस्टर्ड सेल डीड में इसकी कीमत 35,60,500/–रूपये दिखाई गई है, जबकि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा प्राथमिकी में इसका मुल्य 1,10,00,000/–रूपये दिखाई गई है। श्री गुप्ता के कृषि से प्राप्त आय रू० 13,21,000/– एवं जमीन की बिक्री से नगद रूप में प्राप्त राशि रू० 52,90,000/–को उनके आय में गणना नहीं की गयी है।

**4.** संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि श्री गुप्ता द्वारा आयकर रिटर्न में कृषि से प्राप्त आय को नहीं दिखाये जाने के कारण इसे वैध आय में नहीं माना जा सकता है। श्री गुप्ता द्वारा जमीन की बिक्री जिस एकरारनामा पर किया है, वह आर्थिक अपराध इकाई के जॉच में फर्जी पाया गया। श्री गुप्ता द्वारा स्त्री धन के रूप में प्राप्त आय, रिश्तेदारों से प्राप्त आय एवं अन्य स्त्रोत से प्राप्त आय का कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा वर्ष–1990 से 2013 तक की अवधि में श्री गुप्ता का कुल अनुमानित बचत लगभग 36,85,000/–रूपया आकलित की गयी, जबकि उनके द्वारा अर्जित की गयी कुल परिसम्पत्तियॉ लगभग 1,78,73,724/–रूपया है, जिससे स्पष्ट है कि यह अवैध ढंग से अर्जित की गयी है।

5. उक्त आधारों पर संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री गुप्ता से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की कंडिका–18(2) के तहत विभागीय पत्रांक 490 अनु0 दिनांक 08.03.2018 द्वारा असहमति के बिन्दुओं पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

6. श्री गुप्ता द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित करने के पूर्व विभागीय कार्यवाही के अभिलेख की मांग की गयी, जो उन्हें विभागीय पत्रांक 1801 अनु0 दिनांक 18.07.2018 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी किन्तु विभागीय पत्रांक 2638 दिनांक 31.10.2018 एवं पत्रांक 715 दिनांक 20.03.2019 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित करने हेतु स्मारित किये जाने के बावजूद श्री गुप्ता द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया। इससे यह माना गया कि श्री गुप्ता को अपने बचाव बयान में कुछ नहीं कहना है।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री गुप्ता के विरूद्ध उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपों को प्रमाणित पाते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14 (xi) में निहित प्रावधान के तहत सेवा से बर्खास्त करने एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होने की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। इसके पश्चात् श्री गुप्ता का द्वितीय बचाव बयान विभाग को प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में श्री गुप्ता के द्वितीय बचाव बयान का कोई औचित्य नहीं रह जाने के कारण उसपर विचार नहीं किया गया।

8. श्री गुप्ता के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक 2900 अनु0 दिनांक 14.10.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 2588 दिनांक 08.01.2020 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी।

9. विभागीय संलेख ज्ञापांक–326 अनु० दिनांक 15.01.2020 द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध उक्त दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु संलेख मंत्रिपरिषद् को प्रेषित किया गया, जिसके आलोक में उक्त प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 21.01.2020 में मद संख्या–03 के रूप में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

अतः उक्त के आलोक में श्री रामचन्द्र गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली 2007 के नियम–14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है। साथ ही श्री गुप्ता को निलंबन अवधि के लिये जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ अनुमान्य नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22/1/2020

(मनोज कुमार)
उप सचिव

**ज्ञापांक** :– 3/अ0प्र0–1–349/2013 413 /पटना, दिनांक :– 22.1.2020

**प्रतिलिपि** :– अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, गजट वित्त विभाग, बिहार ,पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी० डी० के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22/1/2020
उप सचिव

**ज्ञापांक** :– 3/अ0प्र0–1–349/2013 413 /पटना, दिनांक :– 22.1.2020

**प्रतिलिपि** :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सासाराम/निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/2020
उप सचिव

**ज्ञापांक** :– 3/अ0प्र0–1–349/2013 413 /पटना, दिनांक :– 22.1.2020

**प्रतिलिपि** :– विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 21.01.2020 में मद संख्या–03 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 2588 दिनांक 08.01.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

22/1/2020
उप सचिव

**ज्ञापांक** :– 3/अ0प्र0–1–349/2013 413 /पटना, दिनांक :– 22.1.2020

**प्रतिलिपि** :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/सासाराम/पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/उप सचिव (लेखा प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/अपर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, सासाराम/गया/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री रामचन्द्र गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव
22/1/2020